

औषधि नियंत्रण संगठन

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं इसके अन्तर्गत बनी नियमावली, 1945 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के आयात, निर्माण, वितरण एवं बिक्री को नियमित करने के लिए केन्द्रीय अधिनियम/नियमावली है। ये प्रावधान राजस्थान राज्य में 16, जुलाई 1959 से लागू है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में दो औषधि नियंत्रक, 30 सहायक औषधि नियंत्रक, 95 औषधि नियंत्रण अधिकारी के पद सृजित किये गये हैं। राज्य में अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए "औषधि नियंत्रण संगठन" चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन स्थापित है।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित, प्रभावी एवं मानक स्तर की औषधियाँ एवं मेडिकल डिवाइसेज जैसे – कन्डोम, ट्यूबल रिंग, डिस्पोजेबल सिंरीज आदि, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, सुरक्षित रक्त एवं रक्त कम्पोनेन्ट इत्यादि उचित मूल्य पर सुलभ कराना है।

नकली एवं अवमानक कोटि की औषधियों पर नियंत्रण

नकली दवाओं की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित है। राज्य में नकली दवाओं पर निगरानी व रोकथाम हेतु मुख्यालय पर एक प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है जिसका प्रभारी सहायक औषधि नियंत्रक को बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ पूरे राज्य में निगरानी का कार्य करता है। सभी जिलों में औषधि नियंत्रण अधिकारी कार्यरत हैं जो संदेह / शिकायत या स्वविवेक के अनुसार संभावित अवमानक औषधियों के नमूने लेकर नियमित जाँच करवाते हैं। अवमानक घोषित औषधियों पर तुरन्त रोक लगाकर राज्य में निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। राज्य से बाहर स्थित औषधि निर्माता के मामलों में उस राज्य के औषधि नियंत्रक को कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। गंभीर रूप से अवमानक घोषित औषधियों के प्रकरणों में दोषी निर्माता/विक्रेता एवं व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में विभागीय अधिकारियों द्वारा इस्तगासे प्रस्तुत किये जाते हैं।

उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सही दवा का वितरण

औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दवा विक्रेताओं की नियमित जाँच की जाती है, जिन दुकानों पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाये जाते हैं अथवा अन्य अनियमिततायें जैसे फिजिशियन सेम्पल/मियाद बाहर दवायें मिलना/ विक्रय बिल जारी नहीं करना, क्रय बिल नहीं रखना इत्यादि पाया जाता है उनके लाईसेंस निरस्त/ निलम्बित किये जाते हैं। औषधियाँ फार्मासिस्ट की देख-रेख में ही बेची जाने की सुनिश्चितता हेतु विभाग द्वारा नियमित एवं शिकायतों के आधार पर किये गये निरीक्षणों में अनुपस्थित मिले फार्मासिस्टों पर कार्यवाही हेतु संबंधित लाईसेंसिंग आथोरिटी द्वारा पूर्ण विवरण सहित रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मसी कौंसिल, जयपुर को प्रेषित किये जाते हैं। फार्मासिस्टों के विरुद्ध कार्यवाही कौंसिल द्वारा की जाती है।

रक्त बैंक एवं रक्त भण्डारण केन्द्र

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत राज्य में अक्टूबर, 2011 तक कुल 87 रक्त बैंक कार्यरत हैं जिनमें से 48 राजकीय संस्थानों के एवं 39 चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं। सभी के द्वारा निर्धारित रक्त परीक्षण करने के बाद ही रक्त दिया जाता है, ताकि सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सकें। राज्य में रक्त भण्डारण हेतु 146 रक्त भण्डारण केन्द्र हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सृजित औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा औषधि अनुसूची भ्रमथम में उल्लेखित 74 औषधियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। विभिन्न औषधियों के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राईसिंग ऑथोरिटी द्वारा मूल्य उक्त आदेश के तहत समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं जो उनकी वेबसाइट [पूदचचंपदकपंपदपबण्पद](#) पर उपलब्ध हैं।

प्रतिबंधित दवायें

केन्द्र सरकार को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 ए के तहत औषधियों को प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम के तहत समय-समय पर प्रतिबन्धित की गई औषधियों की सूची ब्दजतंस क्तनहे ँजंदकंतक ब्दजतवस त्तहंदपेंजपवद की वेबसाइट ूबकेबवण्दपबण्पद पर उपलब्ध है तथा विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

औषधि नियंत्रण संगठन की 2 वर्षों की प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2010-11	2011-12 (अक्टूबर 11) तक
01	राज्य में कुल निर्माण इकाइयां मय रक्त बैंक एवं लोन लाइसेंस	395	381
02	राज्य में कुल विक्रय इकाइयाँ	35967	36989
03	निर्माण एवं विक्रय इकाइयों के कुल निरीक्षण	7548	4573
04	औषधि निर्माण/विक्रय लाइसेंस निरस्त किये गये / कमियां पाये जाने के कारण	149	41
05	औषधि निर्माण/विक्रय लाइसेंस निलम्बित किये गये	1208	492
06	राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन कुल वाद	645	645
07	राज्य से औषधि का निर्यात	392 करोड़ रुपये	239 करोड़ रुपये

निर्माण इकाइयों की सूचना निम्न प्रकार से है

क्र.सं.	निर्माण इकाइयां	अक्टूबर 2011 तक
01	फार्मुलेशन	56
02	कॉस्मेटिक्स	36
03	बेसिक ड्रग	22
04	ऑक्सीजन गैस	17
05	लोन लाइसेंस	71
06	कॉटन बैण्डेज	48
07	रीपेकिंग	07
08	अन्य	37
	योग	294

List of Blood Bank in Rajasthan Category wise(component)

Sr. No.	Name & address of the Blood Bank	Category Of Blood Bank
1	Govt.General Hosp. Dholpur	Whole Human Blood – I.P.
2	Govt. Nahata Hosp. Balotara, Barmer	Whole Human Blood – I.P.
3.	Govt. Hospital, Karauli	Whole Human Blood – I.P.
4.	Govt. Hosp. Sojat City, Pali	Whole Human Blood – I.P.
5.	Govt. M.G.M. Hosp. Hanumangarh	Whole Human Blood – I.P.
6.	Govt. D.B. Hosp. Churu	Whole Human Blood – I.P.
7.	Govt. General Hosp. Ratangarh, Churu	Whole Human Blood – I.P.
8.	Govt. A.K. Hosp. Beawar, Ajmer	Whole Human Blood – I.P.
9.	Govt. M.G. Hosp. Banswara	Whole Human Blood – I.P.
10.	Govt.General Hosp. Chittorgarh	Whole Human Blood – I.P.
11	Govt.General Hosp. Baran	Whole Human Blood – I.P.
12.	Govt.General Hosp. Sriganaganagar	Whole Human Blood – I.P.
13.	Govt. M.G. Hosp. Jodhpur	Whole Human Blood – I.P.
14.	Govt. Mathur Das Mathur, Hosp. Jodhpur	Whole Human Blood – I.P.
15.	Govt.General Hosp. Bharatpur	Whole Human Blood – I.P.
16.	Govt.General Hosp. Barmer	Whole Human Blood – I.P.
17.	Govt.General Hosp. Sirohi	Whole Human Blood – I.P.
18.	Govt.General Hosp. Alwar	Whole Human Blood – I.P.
19.	Govt. S.J. Hosp. Jaisalmer	Whole Human Blood – I.P.
20.	Govt. Hospital, Nagaur	Whole Human Blood – I.P.
21.	Govt. M.G. Hosp. Bhilwara	Whole Human Blood – I.P.
22.	Govt. General Hosp. Dungarpur	Whole Human Blood – I.P.
23.	Govt. Bangar Hosp. Pali	Whole Human Blood – I.P.
24.	Govt. General Hosp., Paratapgarh.	Whole Human Blood – I.P.
25.	Govt. General Hosp., S. Madhopur	Whole Human Blood – I.P.
26.	Govt. S.K. Hosp., Sikar	Whole Human Blood – I.P.
27.	Govt. S.M.S. Hosp. Jaipur	Whole Human Blood – I.P.
28.	Govt. Ummed Hosp. Jodhpur	Whole Human Blood – I.P. & Blood Component
29.	Govt. General Hosp., Jalore	Whole Human Blood – I.P.
30.	Govt. Medical College & A.G. Hosp. Kota	Blood & Component
31.	Govt. A.G. Hosp. Bikaner	Whole Human Blood – I.P.& Blood Component
32.	Govt. B.D.K. Hosp., Jhunjunu	Whole Human Blood – I.P.
33.	Govt. General Hosp., Bundi	Whole Human Blood – I.P.
34.	Govt. J.L.N. Hosp., Ajmer	Blood & Component.
35.	Govt. Zanana Hosp. Chand Pole, Jaipur	Whole Human Blood – I.P.
36.	Govt. M.B. Hosp., Udaipur	Whole Human Blood – I.P.
37.	Govt. Mahila Chikitsalya, Jaipur	Whole Human Blood – I.P.
38.	Govt. Sadat Hosp., Tonk	Whole Human Blood – I.P.
39.	Commandant Millitary Hosp., Jodhpur	Whole Human Blood – I.P.
40.	Raj. Atomic Power Station, Rawatbhata (via Kota), Chittorgarh	Whole Human Blood – I.P.
41.	Western Railway Division Hosp. Beawar Road, Ajmer	Whole Human Blood – I.P.
42.	P.M.O. Govt. Y.N. Hosp. Kishangarh, Ajmer	Whole Human Blood – I.P.
43.	P.M.O. Dausa, Dausa	Whole Human Blood – I.P.
44.	Millitary Hosp., Naseerabad, Ajmer	Whole Human Blood – I.P.
45.	Govt. Zanana Hosp., Ajmer	Whole Human Blood – I.P.
46.	Blood Bank, Jhalawar Hosp. & Med. College Society, Jhalawar, Jhalawar	Whole Human Blood – I.P.
47.	P.M.O. Govt. Blood Bank B.D.M. Hosp. Campus, Kotputli, Distt. Jaipur, Jaipur	Whole Human Blood – I.P.

48.	P.M.O., R.K. Govt. Hosp., Rajsamand, Rajsamand.-	Whole Human Blood – I.P
B	Private Level, Blood Bank	
49.	Swasthya Kalyan Blood Bank & Thelesaemia Research Center, Jaipur	Whole Human Blood & Blood Component-I.P
50.	Monilek Hosp. & Research Center, Jaipur	Whole Human Blood I.P
51.	Kota Blood Bank, Society, Kota	Whole Human Blood & Blood Component I.P
52.	Tapowan Blood Bank Samiti Jawahar Nagar, Sriganganagar	Whole Human Blood I.P
53.	Global Hosp. & Research Center, Mount Abu, Sirohi.	Whole Human Blood I.P
54.	Seth Makhan Lal Mahavar Charitable Blood Bank Society, Alwar	Whole Human Blood I.P
55.	Purohit Charitable Lab. Sansthan, Sriganganagar.	Whole Human Blood I.P
56.	Raj. Blood Bank, Bharatpur	Whole Human Blood& Blood Component I.P
57.	Mahatma Gandhi Hosp. & Mahatma Gandhi National Institute of Medical Science (India Education Trust), Jaipur	Whole Human Blood I.P
58.	Ram Snehi Chikitsalya S.R. Marg, Ramdwara, Bhilwara	Whole Human Blood I.P
59.	Bhilwara Blood Bank Society, Bhupal Singh Dhariwal Memoriol Blood Bank, Bhilwara	Whole Human Blood & Blood Component I.P
60.	National Institute of Medical Science (A unit of India Education Trust) Chitanu Mode, Jaipur	Whole Human Blood I.P
61.	Bhagwan Mahavir Cancer Hosp. & Research Center, JLN Marg, Jaipur	Whole Human Blood & Blood Component I.P
62.	Bhagwan Mahvir Hosp. Sumerpur, Pali.	Whole Human Blood I.P
63.	Ummed Singh Sushila Devi Memorial Trust, Shastri Nagar, Jaipur	Whole Human Blood I.P
64.	Kanu Devi Parasmal Mehta, Metha Medical & Blood Bank Charitable Turst, Sardarpura, Jodhpur	Whole Human Blood I.P
65.	Agrasen Blood Bank Maharaja Agrasen Hosp. Vidhyadhar Nagar, Jaipur	Whole Human Blood I.P
66.	Sanjeevani Jan Seva Samiti 2 nd Floor J.N. Vyas Colony, Bikaner	Whole Human Blood I.P
67.	Munshi Ram Mittal Memorial Seva Samiti Blood Bank Opp. S.K. Hospital, Sikar	Whole Human Blood & Blood Component I.P
68.	Krishna Rotary Blood Bank (S.K. Sadhak Memorial Trust) 1-A-12 (SFS) Talwandi, Kota	Whole Human Blood & Blood Component I.P
69.	Birla Sarvajanik Hosp. Pilani, Jhunjunu	Whole Human Blood I.P
70.	S.K. Soni Charitable Trust Sector 5 Vodhyadhar Nagar, Jaipur	Whole Human Blood & Blood Component I.P
71.	Santokba Durlabji Memorial Hosp. & Research Center, SDMH Hosp. Campus Bhawani Singh Marg., Jaipur	Whole Human Blood & Blood Component I.P
72.	Gayatri Voluntary Blood Bank Smt. Katuri Devi Kalumal Jain Charitable Trust Near Big. Water Tank, Abu Road, Sirohi.	Whole Human Blood I.P
73.	Mittal Hosp. & Research Centre, Pushkar Road, Ajmer	Whole Human Blood & Blood Component I.P
74.	American International Hosp., 101 Kothi Bagh Bhati ji Ki Bari, Udaipur	Whole Human Blood I.P
75.	H.B.S. Turst Hosp. & Medical Research Institute Kalupuram General Hosp., Khichan Phalodi Tehsil, Jodhpur	Whole Human Blood I.P
76.	Escort Hearth & Super Specialty Hosp. Ltd.	Whole Human Blood & Blood Component

	Jawahar Lal Nehru Marg, Malviya Nagar, Jaipur	I.P
77.	Geetanjali Medical College & Hosp. Vill. Manwa Khera Gurwa, Udaipur	Whole Human Blood I.P
78.	Saral Blood Bank, 30 Bhikharinath Ka Math Bhupalpura, Udaipur	Whole Human Blood I.P
79.	Ambika Blood Bank, Ambika Hosp. Campus, 22&23, Saraswati Nagar, Jodhpur	Whole Human Blood I.P
80.	Rotary International Global Hosp. Blood Bank, At Radha Mohan Mehrotra Golbal Hosp., Abu Road, Sirohi	Whole Human Blood I.P
81.	Lions Charitable Trust, Sujangarh Distt. Churu.	Whole Human Blood I.P
82.	Blood Bank, Tarini Cancer Hospital & Research Center, Near Lohiya Ka Tibara, Old Delhi Road, Alwar	Whole Human Blood I.P
83	Jeevan Jyoti Blood Bank, Babu Lal Charitable Trust situated at, Life Line Hospital, Tijara Road, Alwar	Whole Human Blood I.P
84	Kailash Hosp. Behror N.H.8 Alwar	Whole Human Blood I.P
85	K.M. Memorial Jain Heart & Gen. Hosp. Station Road, Sikar	Whole Human Blood I.P
86	Swastik Blood Bank (Run by Nirwan Chaitable Trust) 2A-17-18 Basement Gagan Path Road, Jawahar Nagar, Sriganganagar	Whole Human Blood I.P
87	Narayan Hurdyal Hospital, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	Whole Human Blood I.P

BLOOD STORAGE CENTER (15-11-2011)

S. NO.	DISTRICT	NAME OF THE CENTER
01	AJMER	GOVT.GEN HOS.NASIRABAD
02		C.H.C.PISANGAN
03		CHC BIJAI NAGAR
04		CHC KEKRI
05		GOVT.HOSP.PUSHKAR
06		CHC,MASUDA
07	ALWAR	CHC RAJGARH
08		CHC KISHANGARHBAS
09		CHC BEHROR
10		CHC KHETRI
11	BARAN	CHC CHABRA
12		CHC KALWARA
13		CHC ATRU
14		CHC ANTA
15		CHC KISHANGANJ
16		CHC CHHIPA BAROD
17	BANSWARA	REFERAL HOSP. PARTAPUR
18		CHC GANODA
19		CHC BAGRIDORA
20	BUNDI	CHC KAPREN
21		CHC LAKHERI
22		CHC HINDOLI
23		CHC TALERA
24	BHARATPUR	CHC KAMAN
25		CHC DEEG
26		CHC BAYANA
27		CHC NADBAI
28		CHC KUMHER
29		CHC NAGAR

30		CHC SIKRIPATTI
31	BHILWARA	GOVT.SATELITE HOSP. SHAHPURA
32		CHC JHAZPUR
33		CHC MANDALGARH
34		CHC GULABPURA
35		CHC GANGAPUR
36		CHC ASIND
37		CHC RAIPUR
38		CHC,MANDAL
39	BIKANER	CHC NOKHA
40		CHC LUNKARSAR
41		CHC DESNOK
42	CHURU	GOVT. HOSP.SUJANGARH
43		GOVT.MARTIAL HOSP. SARDARSHAHAR
44		CHC TARANAGAR
45		CHC RAJGARH
46	CHHITORFARH	CHC NIMBAHEDA
47		CHC KAPASAN
48		CHC BADI SADRI
50		CHC RASHMI
51		CHC BAGUN
52		CHC RAWATBHATA
53	DHOLPUR	CHC BASEDI
54		CHC RAJAKHEDA
55		CHC SARMATHURA
56		CHC BARI
57	DUNGARPUR	PMO PANDIT DEEN DAYAL HOSP..SAGWARA
58	DAUSA	CHC,BANDIKUI
59		CHC,LALSOTH
60	HANUMANGARH	CHC NOHAR
61		CHC SANGARIA
62		CHC BHADRA
63		CHC RAWATSAR
64	JAIPUR	CHC GOVINDGARH
65		CHC CHAKSU
66		CHC SHAHPURA
67		CHC BASSI
68		CHC JAMWA RAMGARH
69		CHC SANGANER
70		Med.Supererndent Gangori Hospital
71		CHC VIRAT NAGAR
72	JHALAWAR	CHC BHAWANIMANDI
73		CHC JHALRAPATAN
74		CHC DUG
75		CHC AKLERA
76		CHC KHANPUR
77	JODHPUR	CHC BILARA
78		CHC PHALODI
79		CHC BHOPALGARH
80		CHC,BAP
81	JAISALMER	CHC POKREN
82	JALORE	CHC SANCHORE
83		CHC AHORE
84		CHC HADECHA
85	JHUNJUNU	CHC BAGAR
86		GOVT. HOSP.AJITGARH, KHETRI
87		CHC CHIRAWA
88		CHC UDAIPURWATI
89		CHC SURAJGARH
90		CHC NAWALGARH
91	KARALI	CHC HINDONCITY
92		CHC SAPOTRA
93		CHC TODABHIM
94	KOTA	CHC RAMGANJ MANDI
95		NEW MEDICAL HOSP. KOTA

96		CHC KAITHOON
97		CHC ITAWA
98		CHC SANGOD
99	NAGPUR	CHC KUCHAMAN CITY
100		CHC MEDTACITY
101		GOVT. HOSP. LADNU
102		CHC MAKRANA
103		CHC PARBATSAR
104		CHC, Govt. Bangar Hospital, DIDWANA
105	PALI	CHC. BALI
106		CHC SADRI
107		CHC NIMAJ
108		CHC SSUMERPUR
109	PRATAPGARH	CHC CHOTI SADRI
110	RAJSAMAND	CHC KELWARA
111		CHC KHAMNOR
112		CHC DEOGARH
113		CHC RAILMAGRA
114		CHC AMET
115		CHC BHIM
116		CHC NATHDWARA
117		CHC SHEOGANJ
118	SIKAR	CHC LAXMANGARH
119		CHC NEEM KA THANA
120		CHC FATEHPUR
121	SIROHI	UPHC ABU ROAD
122	SRIGANGANAGAR	CHC GHARSANA
123		CHC RAISINGHNAGAR
124		CHC KESRISINGHPUR
125		CHC SURATGARH
126		CHC PADAMPUR
127		CHC ANOOPGARH
128		CHC BIJAI NAGAR
129		CHCSADULSHAHAR
130		CHC SRI KARANPUR
131	SAWAI MADHOPUR	CHC GANGAPUR CITY
132		CHC KHANDAR
133		CHC, BONLI
134	TONK	CHC MALPURA
135		GOVT. HOSP. DEOLI
136		CHC NIWAI
137		CHC TODARAISINGH
138	UDAIPUR	CHC KANOD VIA VALLABH NAGAR
139		CHC SALUMBER
140		CHC MAVLI
141		CHC KHERWADA

PRIVATE BLOOD STORAGE CENTER(15-11-2011)

S. NO.	DISTRICT	NAME OF THE CENTER
01	BARAN	Trustee Opera City Hosp.(A Unit Of Harish Chandra Charitable Trust, Kota
02		Radha Krishna Memorial Hospital, Kota Road
03	JHALAWAR	S.K. Hospital and Research Centre, Bhawani Mandi
04		Nirog Dham Hospital, Bus Stand, Aklera, Jhalawar
05	KOTA	Kota Cancer Hospital & Research Center 2 Basant vihar

अपीलीय अधिकारी

क्र. सं.	पदनाम	दूरभाष	कार्यालय का पता	अधिनियम
01	निदेशक (जन स्वास्थ्य)	0141 2229858	स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर	सूचना का अधिकार
02	विशिष्ट शासन सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामिण स्वास्थ्य मिशन	0141-2221590	स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945

लोक सूचना अधिकारी

क्र. सं.	पदनाम	दूरभाष	कार्यालय का पता
01	औषधि नियंत्रक	0141 2221760	कमरा नं. 304, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेज

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम / परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक
01	औषधि निर्माण लाइसेंस, फार्मुलेशनस, बल्क ड्रग, मेडिसिनल गैसेज, ब्लड बैंक इत्यादि।	औषधि निर्माण लाइसेंस, उनके निरीक्षण व कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 10 रुपये का चालान, पोस्टल आर्डर / बैंकर चैक इत्यादि आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय के नाम आवेदन फार्म पर प्रस्तुत करें।	औषधि नियंत्रक राजस्थान
02	(अ) औषधि विक्रय लाइसेंस	संबंधित संस्थाओं का समस्त रिकार्ड, निरीक्षण रिपोर्टस, कार्यवाहियाँ इत्यादि	(अ) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 10 रुपये का चालान / पोस्टल आर्डर बैंकर चैक इत्यादि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	(अ) जयपुर के विक्रय लाइसेंस से सम्बन्धित सूचना के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, सेठी कॉलोनी, जयपुर।

	(ब) औषधि निर्माण हेतु रिपेकिंग, कॉटन, बैण्डेज इत्यादि लाइसेंस	(ब) संबंधित संस्थाओं का समस्त रिकार्ड, निरीक्षण रिपोर्ट्स, कार्यवाहियाँ इत्यादि	अधिकारी, जयपुर के नाम (ब) आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय के नाम तथा अन्य जिलों के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम आवेदन फार्म पर प्रस्तुत करें।	(ब) औषधि निर्माण लाइसेंस, उनके निरीक्षण व कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज
--	---	---	---	---

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक के नाम, एवं अन्य विशिष्टियां

क्र. सं.	नाम	कार्यालय का पता
01	श्री वी. के. ढल	स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
02	श्री के. जयवन्त	स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
03	श्री ए. के. जैन	(नकली दवा नियंत्रण प्रकोष्ठ) स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
04	श्री दिवाकर पटेल	जिला स्वास्थ्य भवन, सेठी कालोनी, जयपुर
05	श्री मनोज त्रिपाठी	संयुक्त निदेशक, खेड़ली फाटक, कोटा
06	दिवाकर पटेल	जनरल अस्पताल, सवाई माधोपुर
07	श्री गोपाल कुमार	पुराना जनाना अस्पताल, तिलक मार्केट, अलवर
08	श्री सी. बी. गुप्ता	जनाना अस्पताल परिसर, भरतपुर
09	श्री आर.सी. चौधरी	जवाहर रंग मंच के पास शास्त्री नगर, अजमेर
10	श्री सुनील गुप्ता	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ऑफिस उदयपुर रोड़, बांसवाडा
11	श्री अशोक भंडारी	संयुक्त निदेशक, जोन- स्वास्थ्य भवन पुरानी पाली रोड़, झालामण्ड सर्किल, जोधपुर

12	श्री आर. सी. चौधरी	बांगड़ राजकीय चिकित्सालय, पाली
13	श्री जी. सी. मंगल	टी0बी0अस्पताल के पास, बाड़ी, उदयपुर
14	श्री ए0 के0 जैन	एस0 के0 अस्पताल परिसर, सीकर
15	श्री जी. सी. मंगल	महिला एवं बाल चिकित्सालय कलेक्ट्रेट चौराहा, चित्तौडगढ
16	श्री हीरालाल बंसल	कोठी नं. 34 पी. बी. एम. अस्पताल के सामने, बीकानेर
17	श्री रघुवीर सिंह ठाकुर	डी0 बी0 राजकीय जनरल अस्पताल, चूरु
18	श्री रघुवीर सिंह ठाकुर	पुराना राजकीय चिकित्सालय परिसर कचहरी रोड़, श्रीगंगानगर

संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाएँ एवं सेवायें निम्न प्रकार हैं :-

- i- उपभोक्ताओं को मानक स्तर की दवायें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
- ii- लाईसेन्सशुदा ब्लड बैंकों की जानकारी।
- iii- प्रतिबन्धित दवाओं की सूचना।
- iv- राष्ट्रीय फार्मास्यूटीकल मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दवाओं की मूल्य संबंधित सूचना।
- v- दवा विक्रेताओं/निर्माताओं से संबंधित शिकायतों का निराकरण।
- vi- औषधि की गुणवत्ता एवं उसके विपरीत प्रभाव संबंधी शिकायतों का निराकरण।

अधिकारियों की शक्तियाँ व कर्तव्य :-

अ- औषधि नियंत्रक -

1.	औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों से नियमित निरीक्षण करवाना।
2.	नकली एवं अवमानक धोषित औषधियों के प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना।
3.	प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना।
4.	दोषी, अधिकारिया, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना।
5.	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के निर्माण हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना एवं नवीनीकरण करना।
6.	रक्त बैंक, वैक्सीन एवं सीरम, लार्ज वॉल्यूम पेरेन्टरल, के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु अनुज्ञापत्र औषधि नियंत्रक (भारत) के अनुमोदन पश्चात् जारी करना।
7.	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के निर्माण हेतु ^{स्केड्डेड} ^{ड्रग्स} ^{नॉन} कन्विकशन आदि प्रमाण पत्र जारी करना।
8.	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के निर्माण हेतु योग्य व्यक्तियों का अनुमोदन करना।
9.	शुल्क चालान के मद का सत्यापन करना।

ब- सहायक औषधि नियंत्रक:-

स- औषधि
नियंत्रण
अधिकारी:-

1.	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के निर्माण करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण करना
2.	औषधि (काटन वूल, सर्जिकल ड्रेसिंग व रिपेकिंग) के निर्माण हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना एवं नवीनीकरण करना।
3.	औषधि विक्रेताओं को व होम्योपैथिक औषधियों के विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना एवं नवीनीकरण करना।
4.	ब्लड बैंक का निरीक्षण करना और शुल्क चालान के मद का सत्यापन करना।
5.	सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार तथा वाणिज्य, प्रदाय और वितरण का विनियमन) शिकायतों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही करना।
6.	औषधि नियंत्रण अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करना।
2.	औषधि विक्रेताओं / होम्योपैथिक दवा विक्रेताओं का निरीक्षण कर

	सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट भेजना।
3.	दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नमूना लेकर राजकीय विश्लेषक से जाँच करवाना।
4.	नकली, अपमिश्रित व अवमानक दवाओं पर निर्देशानुसार न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करना।
5	बिना अनुज्ञापत्र औषधियों का संग्रह, विक्रय पाये जाने पर अथवा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निर्देशानुसार न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना।
6	डी.पी.सी.ओ. प्रावधानों की निरीक्षण कर सुनिश्चितता करना।
7	राजकीय दवा भण्डारों का निरीक्षण एवं दवाओं की जाँच करवाना।
8	सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार तथा वाणिज्य, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही करना।

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालना की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

- अ— समस्त नियमित एवं नये लाईसेन्स हेतु निरीक्षणों का रजिस्टर में इन्द्राज करना।
- ब— समस्त निरीक्षण रिपोर्ट्स को अधिकतम सात दिवस में कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।
- स— लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों का निस्तारण अधिकतम तीन माह में करना।
- द— निलंबन अथवा निरस्त करने की स्थिति में लाईसेन्सी को अपील हेतु 07 दिवस का समय देना।
- य— आवंटित क्षेत्र में स्थित औषधि निर्माताओं का निरीक्षण संबंधित अधिकारियों द्वारा करना।
- र— राजकीय कोष में जमा की गई राशि का अंकमिलान कोषाधिकारी कार्यालय से लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा करवाया जाना।
- ल— फार्मासिस्ट द्वारा नियमित सेवायें नही दिये जाने पर रजिस्ट्रार फॉर्मसी कॉन्सिल को सूचित करना।

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापमान :-

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत निर्माण / विक्रय हेतु:-

कार्य—	अवधि	रिमार्क
निर्माण लाईसेन्स जारी करना	3 माह	निर्धारित समस्त दस्तावेजो / रिपोर्ट प्राप्त होने पर

औषधि विक्रय लाईसेन्स जारी करना	20 दिवस	निर्धारित समस्त दस्तावेजों/ रिपोर्ट प्राप्त होने पर
--------------------------------	---------	---

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

- संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा उसके कार्य क्षेत्र में औषधि निर्माता का निरीक्षण करना।
- औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह 20 निरीक्षण करना एवं जाँच हेतु कम से कम 06 सेम्पल लेना।
- ड्रग्स एवं मेजिक रेमेडीज (आब्जेक्शनेबल एडर्वटाईजमेन्ट) एक्ट-1954 के तहत सभी औषधि नियंत्रण अधिकारी कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है।
- औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश -2005 के तहत सभी औषधि नियंत्रण अधिकारी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

धारित या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण

1. औषधि निर्माताओं का लाईसेन्स एवं नवीनीकरण रजिस्टर
2. निरीक्षण रिपोर्ट्स का रजिस्टर
3. जिला स्तर पर औषधि विक्रेताओं का लाईसेन्स रजिस्टर एवं निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर।
4. औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सेम्पल रजिस्टर, निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर।
5. राजकोष के निर्धारित मद में जमा कराये जाने वाले चालान का रजिस्टर।
6. कोर्ट केस रजिस्टर।

अधिकारीगण

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	पद	विशेष विवरण
01	श्री डी0 के0 श्रृंगी	औषधि नियंत्रक निदेशालय चिकि. एवं स्वा. सेवायें., तिलक मार्ग, जयपुर	
02	श्री वी0 के0 ढल	सहायक औषधि नियंत्रक निदेशालय चिकि. एवं स्वा.	

		सेवायें,. तिलक मार्ग, जयपुर	
03	श्री के० जयवन्त	सहायक औषधि नियंत्रक निदेशालय चिकि. एवं स्वा. सेवायें,. तिलक मार्ग, जयपुर	अति० चार्ज दौसा
04	श्री आर.एस.ठाकुर	सहायक औषधि नियंत्रक डी.बी.राजकीय जनरल अस्पताल, चूरु	अति. चार्ज गंगानगर
05	श्री जी०सी०मंगल	सहायक औषधि नियंत्रक टी.बी.अस्पताल के पास, बाड़ी उदयपुर	अतिरिक्त चार्ज— चित्तौडगढ़
06	डॉ मनोज त्रिपाठी	सहायक औषधि नियंत्रक संयुक्त निदेशक,जोन कोटा खेड़ली फाटक, कोटा	कार्य सम्पादन हेतु सहायक औषधि नियंत्रक,कोटा का कार्य
07	श्री गोपाल कुमार	सहायक औषधि नियंत्रक पुराना जनाना अस्पताल, तिलक मार्केट,अलवर	
08	श्री हीरा लाल बंसल	सहायक औषधि नियंत्रक कोठी नं.34, पी.बी.एम. चिकित्सालय के सामने, बीकानेर	
09	श्री रमेश चन्द चौधरी	सहायक औषधि नियंत्रक बागड़ राजकीय चिकित्सालय, पाली	अतिरिक्त चार्ज— अजमेर
10	श्री सुनील गुप्ता	सहायक औषधि नियंत्रक सी.एम. एण्ड एच.ओ. उदयपुर रोड़ बांसवाड़ा	
11	श्री अशोक भंडारी	सहायक औषधि नियंत्रक स्वास्थ्य भवन, ओल्ड पाली रोड़, झालामड़ सर्किल, जोधपुर	
12	श्री दिवाकर पटेल	सहायक औषधि नियंत्रक मिनि स्वास्थ्य भवन,सेठी कॉलोनी, जयपुर	अति. चार्ज स० माधोपुर
13	श्री सी० बी० गुप्ता	सहायक औषधि नियंत्रक जनाना अस्पताल परिसर भरतपुर	
14	श्री अजय कुमार जैन	सहायक औषधि नियंत्रक निदेशालय चिकि. एवं स्वा. सेवायें,. तिलक मार्ग, जयपुर	अति. चार्ज सीकर
15	श्री ईश्वर सिंह	औषधि नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य संकूल केम्पस् जवाहर रंगमंच के पास, अजमेर	
16	श्री अजीत जैन	औषधि नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य संकूल केम्पस्	

		जवाहर रंगमंच के पास, अजमेर	
17	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	औषधि नियंत्रण अधिकारी, कमरा नं. 49 राजकीय चिकित्सालय परिसर बाडमेर	अति. जोधपुर
18	श्री जितेन्द्र ओगरा	औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी ऑफिस स्वास्थ्य भवन, नागौर	
19	श्री अनूप रावत	औषधि नियंत्रण अधिकारी, जनाना अस्पताल, भरतपुर	अतिरिक्त चार्ज-धोलपुर
20	श्री सुनील वर्मा	औषधि नियंत्रण अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर	अतिरिक्त चार्ज-करोली
21	श्री सुरेश सामर	औषधि नियंत्रण अधिकारी, आर 0 के0 राजकीय अस्पताल, राजसमंद,	अतिरिक्त चार्ज-डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा
22	श्री सुभाष चन्द्र मुटनेजा	औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऑफिस स्वास्थ्य भवन, हनुमानगढ़	अतिरिक्त चार्ज- बीकानेर एवं जैसलमेर
23	श्री ललित अजारिया	औषधि नियंत्रण अधिकारी, धान मंडी, उदयपुर	
24	श्री देवेन्द्र केदावत	औषधि नियंत्रण अधिकारी, एम0 जी0 अस्पताल केम्पस, भीलवाड़ा	
25	श्री ओ0 पी0 यादव	औषधि नियंत्रण अधिकारी पुराना जनाना अस्पताल, तिलक मार्केट, अलवर	
26	श्री वी0 के0 सिंघल	औषधि नियंत्रण अधिकारी गांधी चौक, जनाना अस्पताल केम्पस, झुञ्जुनूं	
27	श्री मनीष गुप्ता	औषधि नियंत्रण अधिकारी राजकीय चिकित्सालय, द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही	
28	श्री मनोज टोंगरा	औषधि नियंत्रण अधिकारी बांगड़ राजकीय चिकित्सालय, पाली	
29	श्री भरत गोस्वामी	औषधि नियंत्रण अधिकारी राजकीय चिकित्सालय, द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर	

30	श्री हरि ओम मेहता	औषधि नियंत्रण अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,ऑफिस, झालावाड	अतिरिक्त चार्ज-बांरा
31	श्री अजय फाटक	औषधि नियंत्रण अधिकारी श्री रामकरण जोशी, राजकीय चिकित्सालय, दौसा	
32	श्री देवेन्द्र गर्ग	औषधि नियंत्रण अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,ऑफिस,जनरल अस्पताल के पास, बून्दी	अतिरिक्त चार्ज-कोटा एवं टोंक
33	श्री राजा राम शर्मा	औषधि नियंत्रण अधिकारी खेड़ली फाटक, कोटा	अतिरिक्त चार्ज-चूरु
34	श्री सुनील मित्तल	औषधि नियंत्रण अधिकारीएस0 के 0 अस्पताल परिसर सीकर	
35	श्री एस0 सी0 जैन	औषधि नियंत्रण अधिकारी महिला एवं बाल चिकित्सालय, कलेक्ट्री चौराहा, चित्तौडगढ़	अतिरिक्त चार्ज-प्रतापगढ़
36	श्री राकेश वर्मा	औषधि नियंत्रण अधिकारी मिनि स्वास्थ्य भवन, सेटी कॉलोनी, जयपुर	
37	श्री अनिल अग्रवाल	औषधि नियंत्रण अधिकारी मिनि स्वास्थ्य भवन, सेटी कॉलोनी, जयपुर	
38	श्री संजय पारीक	औषधि नियंत्रण अधिकारी पुराना राजकीय अस्पताल परिसर कचहरी रोड़, श्रीगंगानगर	कार्य सम्पादन हेतु निदेशालय चिकि. एवं स्वा.सेवायें,. तिलक मार्ग, जयपुर
39	श्री अशोक मित्तल	औषधि नियंत्रण अधिकारी मिनि स्वास्थ्य भवन, सेटी कॉलोनी, जयपुर	
40	डा0 मनोज त्रिपाठी	औषधि नियंत्रण अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, राज0 जयपुर	स्हायक औषधि नियंत्रक-कोटा का अतिरिक्त कार्य
41	श्री डी0 एस0 उप्पल	औषधि नियंत्रण अधिकारी पुराना राजकीय चिकित्सालय परिसर कचहरी रोड़, श्रीगंगानग	

उपलब्ध ब्यौरे जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना के संबंध में धारित है:-

rajswasthya.nic.in, www.nppa.nic.in. एवं www.cdsco.nic.in पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 तथा ड्रग्स एण्ड मेजिक रेमेडीज(ओब्जेक्शनेबल एडर्वटाईजमेन्ट) एक्ट, 1954 के तहत समस्त प्रावधानों एवं अन्य सूचनाएँ उपलब्ध है, जिसमें प्रतिबंधित औषधियाँ, नई औषधियाँ, औषधि महानियंत्रक के समस्त कार्यालयों की सूचनाएँ एवं अधिनियम, औषधि मूल्य नियंत्रण से संबंधित सभी सूचनाएँ उपलब्ध है।